फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) गिर्वा, उदयपुर

प्रार्थीः—कंकु विपक्षीः— गमेरी

किस्म मुकदमाः—प्रा0पत्र पत्रावली संख्याः—21/19 सनः— 2019

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	27.1.2020 पत्रावली पेश हुई। प्रकरण में पैरवी हेतु कोई भी पक्षकार उपस्थित नहीं हुआ। प्रकरण अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का होकर उपखण्ड अधिकारी गिर्वा से स्थानान्तरण से प्राप्त होकर वास्ते कार्यवाही विचाराधीन है प्रकरण का मूल प्रकरण संख्या 385/11 उपखण्ड अधिकारी गिर्वा से प्राप्त नहीं होने उक्त प्रकरण भिजवाने हेतु उपखण्ड अधिकारी गिर्वा को दिनांक 30.12.19 को पत्र लिखा गया जिसके जवाब में उपखण्ड अधिकारी गिर्वा के पत्रांक राजस्व ए/385/11वाद/2020/200 दिनांक 20.1.20 से मूल वाद प्रकरण संख्या 385/11 अनवान कंकु बनाम गमेरी दिनांक 31.03.2019 को अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज होना बताया गया। जिससे मूल वाद खारिज हो जाने से इस प्रकरण में अब कोई कार्यवाही शेष नहीं रहती है। अतः प्रकरण का मूल वाद खारिज होने से इस प्रकरण में भी कार्यवाही इस स्तर पर बन्द की जाती है एवं प्रकरण इसी स्टेज पर अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। डा0 मंजु (आइ.ए.एस.) सहायक कलक्टर (फा0ट्रे0) गिर्वा – उदयपुर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2020.02.25 14:44:15
IST
Reason: SelfAttested